



15.03.2021

पत्रावलियां अव्यवस्थित तरीके से अलमारियों में बन्द रखी हुई थी। साफ-सफाई करने में पत्रावलियां मिली। पत्रावली अब तक पेश नहीं की गई और न ही प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित तकाजा किया गया। पूर्व रीडर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस वजह से आर्डर शीट अधूरी रह गई है। पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। कलक्टर महोदय दीगर कार्यों में व्यर्थ है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.04.2021 को पेश हो।


रीडर

12.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाज लगवाई गई लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए एवं न ही प्रार्थी उपस्थित हुआ। अतः प्रार्थी का यह राजस्व निगरानी प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

